(1)

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
उपस्थित : सुश्री दीपाली शर्मा, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

**फौजदारी वाद सं. 1145/2009**

राज्य

विरुद्ध

अभियुक्तगण.....
1. हरीश पुत्र बनारसी
2. सुरेश पुत्र बनारसी
3. विशन पुत्र बनवारी
4. अमरनाथ पुत्र राम नाथ (फरार)
निवासीगण ग्राम गुजरौड़ा फतेहपुर हल्द्वानी जिला नैनीताल।
5. सूरज पुत्र परसादी
6. सतपाल उर्फ सदुवा पुत्र परसादी
7. मुकेश पुत्र प्रेम लाल
निवासी भोट थाना अजीम नगर रामपुर उ.प्र.
8. रमेश पुत्र झिंकू लाल
निवासी छोई थाना रामनगर जिला नैनीताल।
9. नारायण चंद्र पुत्र मुन्नी लाल
निवासी सदर बाजार, नागारोड, म.सं.1166 दिल्ली-6
10. (मृतक)शान्ति उर्फ संतोष पुत्र बनारसी
निवासीगण ग्राम गुजरौड़ा फतेहपुर हल्द्वानी जिला नैनीताल।

रें.केस सं.-13/फतेहपुर/2008-09
धारा- 2, 9, 39, 49 एवं 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, एवं धारा 26 वन अधिनियम।
चालानी- प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, रामनगर।

**पंजीकरण की तिथि-28.3.2009**
**निर्णय की तिथि -07.6.2014**

## निर्णय

अभियुक्तगण 1. हरीश, 2.सुरेश, 3. विशन, 4.अमर नाथ 5. सूरज, 6. सतपाल उर्फ सदुवा, 7. मुकेश, 8. रमेश एवं 9. नारायण चंद्र का परीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर धारा 2, 9, 39, 49 एवं 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अपराध हेतु किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्त अमरनाथ के फरार हो जाने के कारण उसके विरुद्ध पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा गैरजमानतीय वारण्ट एवं धारा 82 दं. प्र. सं. की आदेशिकाएं जारी की गयी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आदेशित किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिकाओं की तामीली सुनिश्चित की जाए अतः अभियुक्त अमर नाथ की पत्रावली पृथक की गयी

है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त शांति उर्फ संतोष की दौरान वाद मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही आदेश दि.21.12.13 के अनुसार उपशमित की गयी।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 30.1.2009 की प्रातः 04.00बजे फतेहपुर रेंज के वन क्षेत्र की पड़ताल करते हुए वन कर्मचारीगण जब कन्जर बस्ती गुजरौड़ा फतेहपुर थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल में लगभग 10.00बजे पहुंचे तो उनको वहां मौजूद व्यक्तियों की स्थिति संदिग्ध दिखाई दी, तब हवा के झौके से दुर्गन्ध का आभास हुआ, दुर्गन्ध की दिशा में जाने पर बस्ती के पक्के मकानों के पीछे कुछ खून के धब्बे दिखे, मौके पर खोदने पर दो प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें से एक कट्टे में 16 अदद बाघ की हड्डियां जिन पर मांस लगा था, बरामद हुई तथा दूसरे कट्टे में उसरे कट्टे में बाघ की खाल बरामद हुई। अभियुक्त अमर नाथ के कब्जे प्लास्टिक की थैली में एक उदबिलाव की एक खाल बरामद हुई। गहन तलाशी में अभियुक्त सुरेश के घर से एक खड़का बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि दिल्ली निवासी नारायण चन्द्र से एक बाघ की खाल व उदबिलाव की खाल और हड्डियों का सौदा तय हुआ। मौके पर अभियुक्त हरीश, सुरेश, अमरनाथ, मुकेश व नारायण चन्द्र को 3:00बजे दिन हिरासत में लिया गया तथा शेष अभियुक्त शान्ति उर्फ संतोष, विशन, सूरज व सतपाल भाग गये। बरामद माल की फर्द बरामदगी बनाई गयी। पकड़े गये अभियुक्तों को रेंज कार्यालय लाया गया। अभियुक्त रमेश ने अपराध में शामिल अभियुक्तों की पहचान की और नाम बताया तथा उसकी निशानदेही पर फतेहपुर कक्ष संख्या-3 आरक्षित वन से एक अदद बल्लम का फाल, रोहनी तथा बांस के डण्डे रक्त रंजित पत्थर, पत्ते एकत्र किये तथा प्लास्टिक की खाली बोतल बरामद कर फर्द बरामदगी बनाई। बाघ का जहां शिकार किया गया था, वहां का नक्शा नजरी बनाया गया। बरामद माल सील किया गया तथा वन रक्षक खुशाल चन्द्र ने अपराध का एफ-2 जारी किया। जांच के उपरांत आख्या प्रेषित की गयी तदोपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग मय प्रपत्रों के वन विभाग की ओर से पेश कर प्रार्थना की है कि अभियुक्तगण का उक्त अपराध अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के भाग 2 में दर्ज वन्य जन्तुओं का शिकार गम्भीर अपराध है, अभियुक्तगण को दण्डित किया जाए।

7/12/2014

3. अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियोग की नकलें प्रदान की गयी एवं उनके विरुद्ध धारा 2, 9, 39, 49 एवं 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया व परीक्षण चाहा।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु साक्ष्य में पी.डब्लू.-1 खुशाल चन्द्र वन रक्षक, पी.डब्लू.-1 सेवा राम उपराजिक, पी. डब्लू.-3 उमेश चंद्र जोशी वन दरोगा, पी.डब्लू.-4 दीप कुमार पाण्डे वन क्षेत्राधिकारी, पी.डब्लू.-5 तिलक राम वर्मा निरीक्षक विजिलेंस, हल्द्वानी, पी. डब्लू.6 आनन्द चंद्र आर्या उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी एवं पी.डब्लू.7 रमा कान्त तिवारी सहायक वन संरक्षक वन वर्द्धनिक साल क्षेत्र हल्द्वानी को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

5. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 जा0 फौ0 के अंतर्गत लिये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने पुनः अपराध से इंकार किया तथा कहा कि उनके विरुद्ध झूठे बयान दिये हैं, वे निर्दोष हैं। अभियुक्त नारायण चन्द्र ने कहा है कि मुकदमा झूठा है, वह किसी को नहीं जानता है तथा सफाई में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। शेष अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

अभियुक्त नारायण चंद्र द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायाधीश सं.3 अलवर द्वारा दाण्डिक अपील सं.96/2011नारायण बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दि.04.10.13 की सत्यप्रति पेश की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से अपराध का एच-2 प्रदर्श क-1, फर्द बरामदगी खाल, बाघ की हड्डियां व खड़का आदि प्रदर्श क-2, फर्द पर हस्ताक्षर लोचन प्रकाश प्रदर्श क-3, नक्शा नजरी माल बरामदगी प्रदर्श क-4, नक्शा नजरी घटनास्थल बाघ मारने का प्रदर्श क-5 एवं अंतिम जांच रिपोर्ट परिवाद पत्र प्रदर्श क-6 को साक्ष्य से साबित किया गया है।

7. अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र पाण्डे एवं अभियुक्तगण की ओर से श्री चंदन सिंह अधिकारी एवं निर्मल सिंह संधु के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया।

7/III/2014.

## निष्कर्ष

8. United Nations (यूनाइटेड नेशन्स) के ह्यूमन इंवायरमेन्ट पर आयोजित Stock Holm Declaration,1972 के (स्टाक होम डिक्लीरेशन) के सिद्धान्त नम्बर 3 में अवधारित किया गया कि –

"Man has the fundamenal right to freedom, equality and adepuate conditions of life, in an environment of equality that permits a life of dignity and well-being and bear a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations".

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48(क) में 42वें संशोधन नम्बर –3 में अवधारित है:–

*"State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country".*

10. अनुच्छेद 51A(g) में भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को अभिलिखित करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसका *improvement* प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाना चाहिए। पर्यावरण में जंगल, झील, नदियां, जंगल में रहने वाले पशु-पक्षी सम्मलित हैं। यह भी प्रावधानित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी जीवित प्राणियों, जीव जन्तुओं के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी0एन0 गोदावर्मन थिरुमालपाद बनाम भारत संघ व अन्य, (2002)10 सुप्रीम कोर्ट केसेज 606** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पर्यावरण और उसकी सम्पदा को बचाने के लिए पर्यावरण से सम्बंधित कानूनों का *implementation* कार से किया जाना अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय Convention declarations (कन्वेंशन) (डिक्लेरेशन्स) में भारत के संविधान, वेद शास्त्र व अन्य उदाहरणों द्वारा पर्यावरण व उसमें निहित जीव-जन्तुओं की महत्ता को आवश्यक बताते हुए कहा कि यदि हमारे चारों तरफ जंगल में रहने वाले जीव-जन्तु ही नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा।

12. माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काट्जू द्वारा **संसार चन्द बनाम राजस्थान राज्य (2010)10 एस.सी.सी. 604** में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21,48ए,51ए (जी) का उद्धरण देते हुए कहा कि इकोलाजिकल चेन का संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था में सुनियोजित अपराध के द्वारा भारत के जंगलों व

7/12/2014

नेशनल पार्कों से बाघ, चीते, बघीरे इत्यादि के अवैध शिकार पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराधों से इकोलाजिकल चेन तथा इकोलोजिकल बैलेंस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय रूडयार्ड किपलिंग की बहुचर्चित किताब "जंगल बुक" के शेर खान को याद करते हुए कहा कि वर्तमान में यह शेर खान भारत के जंगलों व नेशनल पार्कों में अत्यंत दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक यह है कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.1.2009 को वन क्षेत्राधिकारी फतेहपुर वन विभाग के 09कर्मचारीगण, चौकी इन्चार्ज मुखानी, लामाचौड़ व दो महिला कांस्टेबल के साथ यह टीम वन क्षेत्र में पड़ताल करती हुई प्रातः लगभग 04.00बजे कंजर बस्ती गुजरौड़ा फतेहपुर थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल में पहुंची। इस कंजर बस्ती का निरीक्षण करते समय वहां पर रह रहे व्यक्तियों की स्थिति संदिग्ध दिखाई दी। मौके पर वायु में दुर्गन्ध का आभास हुआ तो सम्पूर्ण वन व पुलिस विभाग की टीम उस ओर गयी जिस तरफ से दुर्गन्ध आ रही थी तब कंजर बस्ती के पीछे खून के धब्बे दिखाई दिये। जमीन में दबाये हुए तो प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें से एक कट्टे में 16अद्द हड्डियां जिनमें मांस लगा था। दूसरे कट्टे में से बाघ की खाल बरामद हुई। आसपास के मकानों की तलाशी लेने पर अमर नाथ के घर से प्लास्टिक के थैली में रखी हुई ऊदबिलाउ की खाल बरामद हुई। अभियुक्त सुरेश के घर से एक खड़का बरामद हुआ, जिसका प्रयोग जानवर और मूलतः बाघ का शिकार करने में किया जाता है। पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि उनके साथ शान्ति उर्फ संतोष, विशन, सूरज, रमेश, सत्यपाल, मुकेश व हरीश आदि लोग थे। तलाशी के दौरान अभियुक्त रमेश ने वन विभाग की टीम व पुलिस को देख कर भागने की चेष्टा की, जिस पर उसे मौके पर पकड़ लिया गया।

14. अभियुक्त रमेश की निशानदेही पर वन विभाग की टीम दिनांक 30.01.09 को लगभग 11:00बजे अन्य अभियुक्तगण शान्ति उर्फ संतोष, विशन, सूरज, सत्यपाल, मुकेश व हरीश को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां अभियुक्तगण ने बाघ का शिकार किया था। यह स्थान फतेहपुर का कक्ष संख्या-3 आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ अभियुक्तगण की निशानदेही पर बाघ के अवैध शिकार में प्रयोग किया गया एक बल्लम का फाल, रक्तरंजित पत्थर, बांस, रोहिणी के डण्डे (जिनसे पीट कर बाघ को

मारा गया) तथा मौके से रक्तरंजित पत्ते व बियर की दो खाली बोतलें बरामद हुई।

15. अभियुक्तगण ने इसी स्थान पर बाघ को खइके में फँसा कर उक्त बल्लम, बांस रोहिणी के डण्डे से बाघ को मार दिया तथा बाघ के मरने के पश्चात उसके शरीर से आंते व मांस काट कर हटा दिया तथा हड्डियों और खाल को अभियुक्तगण अपने साथ कंजर बस्ती ले आये।

16. पी.डब्लू.6 विवेचनाधिकारी आनन्द चन्द्र आर्या ने अपने सशपथ बयानों में कहा है कि उनके द्वारा वन विभाग की टीम में सम्मिलित डी.के. पाण्डे, उमेश जोशी की मौजूदगी में कंजर बस्ती गुजरोड़ा फतेहपुर का नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 तैयार किया गया।

जिस स्थान पर बाघ मारा गया था, वहां का नक्शा नजरी उमेश जोशी व डी.के. पाण्डे की निशानदेही पर तैयार किया गया। यह स्थान फतेहपुर कक्ष सं0-3 मछिया गाड़ स्रोत है अर्थात् यह वह स्थान है जहां जल का स्रोत है और जहां अमूमन जानवर पानी पीने आते हैं। नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 में स्पष्ट रुप से वह स्थान दिखाया गया है जहां बाघ को मारने के लिए खइका लगाया गया और जिस स्थान पर बाघ की खाल व मांस छीला गया था। विवेचक ने उस स्थान का भी नक्शा नजरी बनाया जहां से बाघ की खाल व हड्डियां बरामद की गयी थी जो संलग्नक 30 है।

पी.डब्लू.1 वन रक्षक खुशाल चन्द्र ने अपने सशपथ बयानों में कहा है कि जब वह वन क्षेत्राधिकारी फतेहपुर रेन्ज के आदेश पर प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी सेवा राम, लोचन प्रकाश वन दरोगा, रमेश वन रक्षक व रेवाधर वन रक्षक के साथ गश्त करते हुए कंजर बस्ती पहुंचे तो वहां मौजूद व्यक्तियों की स्थिति संदिग्ध देखी और हवा में दुर्गन्ध का आभास हुआ। शक होने पर घेराबंदी करके तलाशी ली तो अभियुक्तगण के मकानों के पीछे बने आहते में ही जमीन में प्लास्टिक के दो कट्टो से बाघ की खाल व हड्डियां बरामद हुई। यह हड्डियां संख्या में 16 थीं। अमर नाथ के घर से उदबिलाव की खाल व सुरेश के घर से बाघ मारने का खइका बरामद हुआ। इस साक्षी ने उपरोक्त लिखित अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन अपने बयानों में किया है।

इसी प्रकार पी.डब्लू.2 सेवा राम उप राजिक, पी.डब्लू.3 उमेश चन्द्र वन दरोगा, पी.डब्लू.4 दीप कुमार पाण्डे वन क्षेत्र अधिकारी और पी.डब्लू.5

9/12/2014

तिलक राम वर्मा उप निरीक्षक ने अभियोजन के इन तथ्यों को अपने बयानों में पूर्ण रूप से पुष्ट किया है कि दिनांक-30.01.09 की प्रातः लगभग 4:00बजे दौरान गश्त उन्होंने अभियुक्तगण के कंजर बस्ती स्थित घर के अहाते से दो प्लास्टिक के कट्टों में मिट्टी में दबी हुई एक बाघ की खाल व 16 हड्डियां बरामद की।

17. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त माल के संबंध में बनायी गयी फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3 पर आपत्ति व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि इस पर वन क्षेत्राधिकारी दीप चन्द्र के हस्ताक्षर नही है। साथ ही उप निरीक्षक तिलक राम वर्मा के भी हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर नहीं है। न्यायालय द्वारा इन दोनों अभिलेखों का परिशीलन किया गया। इन अभिलेखों में स्पष्ट रूप से पी.डब्लू.2 सेवा राम उपराजिक, वन दरोगा लोचन प्रकाश, वन दरोगा खुशाल चन्द्र, वन दरोगा उमेश जोशी व वन दरोगा रेवाधर जोशी के हस्ताक्षर हैं। जहां तक पी.डब्लू.4 दीप पाण्डे के हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर न होने का प्रश्न है तो उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि-

**" हमें बाघ की खाल व हड्डियां प्लास्टिक के अलग-अलग कट्टों में जमीन में खाली प्लाट में गाढ़ी हुई थी। मुल्जिमान के घर के पीछे से माल बरामद हुआ था। उदबिलाव की खाल घर के अंदर से अमरनाथ के घर के अंदर से मिली थी। खड्का सुरेश के घर से मिला था। हमारे साथ गश्त में पुलिस भी थी। हमने मौके पर जो कार्यवाही की या फर्द बनायी उन कागजों पर पुलिस वालों के हस्ताक्षर नहीं कराये थे।"**

अर्थात् इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से बाघ की खाल, हड्डियां व उदबिलाव की खाल की बरामदगी के तथ्य को अपने बयानों से सिद्ध किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने इस साक्षी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है कि फर्द बरामदगी बनाये जाते समय पी.डब्लू.4 दीप कुमार पाण्डे मौके पर मौजूद न हो।

18. पी.डब्लू.5 त्रिलोक राम वर्मा उपनिरीक्षक ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि -

"जिन कट्टों में बाघ की खाल व हड्डियां बरामद हुई थी, वह मुल्जिमान के घर के पीछे जमीन के गढ़े हुए प्राप्त हुए थे। जिस समय हम मौके पर पहुंचे, उस समय अभियुक्तगण घर से निकल कर भागे।"

7/12/2014.

साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके फर्द पर हस्ताक्षर इस कारण नहीं हैं कि वह मौके पर न गया हो। स्पष्ट है कि पी.डब्लू.4 दीप कुमार पाण्डे ने अपने बयानों में यह स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने फर्द बरामदगी में पुलिस वालों के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। अन्यथा भी मात्र इन दोनों के हस्ताक्षर फर्द पर न होने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

19. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि उपनिरीक्षक तिलक राम वर्मा की रवानगी से सम्बंधित जी.डी. पत्रावली पर नहीं है। इसलिए उनका मौके पर होना शंकापूर्ण है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी अनेकानेक विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त अवधारित किया है कि प्रत्येक तथ्य को सिद्ध करने के लिये यदि जी.डी. आहूत की जाएगी तो इस तरह पुलिस की सामान्य दिनचर्या, प्रकिया एवं कार्य में बाधा पहुंचेगी। अतः मात्र तिलक राम वर्मा उपनिरीक्षक की उपस्थिति को सिद्ध करने के लिये जी.डी. पत्रावली पर न होने से अभियोजन कथानक पर गम्भीर प्रभाव नहीं डालती।

20. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि बाघ की खाल व हड्डियों को अभियुक्तगण के घर के पीछे अहाते में दबाते समय किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, अर्थात इस तथ्य को भी कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है कि अभियुक्तगण ने स्वयं बाघ की खाल व हड्डियां घटनास्थल पर दबाई हो।

प्रारम्भ से ही अभियोजन कथानक यह है कि मुखबिर की सूचना पर गुप्त रूप से पुलिस व वन विभाग की टीम बनायी गयी थी। जिन्होंने कंजर बस्ती में जाकर संदिग्ध परिस्थितियों में ही अभियुक्तगण के घर के पीछे से खाल व हड्डियां बरामद की। न्यायालय, वन विभाग या पुलिस से यह अपेक्षा नहीं रखता है कि वह ऐसे किसी मुखबिर को न्यायालय में उपस्थित कराता, जिससे अभियुक्तगण को ऐसा अपराध करते हुए स्वयं देखा हो।

21. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि फतेहपुर कक्ष-3 मछिया गाड़ सोत जहां बाघ मारा गया, उन्होंने बल्लम के फाल, रोहनी तथा बांस के डण्डे रक्त रंजित पत्थर, पत्तों में लगे रक्त की जांच नहीं करायी अतः सम्पूर्ण कथानक झूठा बताया गया है।

अभियोजन कथानक यह है कि वन विभाग की टीम ने जल स्रोत के पास से उपरोक्त बल्लम का फाल, रोहनी तथा बांस के डण्डे खत रंजित पत्थर, पत्ते आदि बरामद किये, अतः यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जिसके सम्बंध में अभियुक्तगण ने स्वयं स्वीकारोक्ति का कथन दर्ज करवाया। अतएव अभियुक्तगण की ओर से दिया गया यह भी तर्क पोषणीय नहीं है।

22. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.1 खुशाल चंद्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि बरामद खाल अभियुक्त हरीश के घर के पीछे से बरामद हुई। अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से यह प्रश्न पूछाकि क्या अभियुक्त सुरेश व अमरनाथ के अलावा किसी के घर से कोई चीज बरामद हुई थी। इसके उत्तर में साक्षी ने यह कहा कि सुरेश व अमर नाथ के अलावा किसी के घर से कोई चीज बरामद नहीं हुई, जिसका अर्थ यह है कि सुरेश व अमर नाथ से क्रमशः खड़का व उदबिलाव की खाल को अपने घर से बरामद होना स्वीकार करते हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता अन्य किसी साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य नहीं निकलवा पाये हैं, जिससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या परस्पर उनके बयानों में कोई विसंगतता दर्शित होती हो।

23. पी.डब्लू.4 दीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि-

**"अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिल्ली निवासी संसार चंद्र के भाई नारायण चंद्र को बाघ की खाल उदबिलाव की खाल व हड्डियों का सौदा हुआ है और इसका बयाना अमर नाथ ले चुका है।"**

अभियुक्त अमरनाथ वह व्यक्ति है, जिसने नारायण चंद्र के साथ बाघ व उदबिलाव की खाल व बाघ की हड्डियों का सौदा किया था। उसने विवेचक को दिये गये बयानों संलग्नक-5 में कहा है कि -

**" मैं अमर नाथ पुत्र राम नाथ ग्राम गुजरौड़ा फतेहपुर थाना हल्द्वानी उपकारागार, हल्द्वानी में अपने पूरे होशो हवाश में बयान देता हूं कि दिनांक 30.1.2009 को कंजरबस्ती गुजरौड़ा फतेहपुर में पकड़े गये बाघ की खाल व हड्डियों को हम विशन पुत्र बनवारी, शांति पुत्र बनारसी, सूरज पुत्र परसादी, सतपाल पुत्र परसादी एवं रमेश पुत्र झिकुला तथा मैंने पकड़े जाने के लगभग पांच-छः दिन पूर्व फतेहपुर के जंगल में खड़का लगा कर**

बाघ का मार कर लाये थे। बाघ की खाल व हड्डियों को हमने सुरेश पुत्र बनारसी, हरीश पुत्र बनारसी एवं मुकेश पुत्र प्रेम के साथ गुजरौड़ा कंजर बस्ती में हरीश पुत्र बनारसी के घर के पीछे प्लास्टिक के कट्टे में रख कर गड्ढों में दबा दिया। मेरे पास एक थैले में उदबिलाव की खाल भी रखी थी, जो मैंने किसी से ली थी। वन विभाग वालों ने बाघ की खाल व हड्डियों तथा उदबिलाव की खाल सहित हमें कंजर बस्ती गुजरौड़ा में पकड़ लिया। किशन पुत्र बनवारी, शांति पुत्र बनारसी, सूरज पुत्र परसादी एवं सतपाल पुत्र परसादी वन विभाग वालों को देख कर भाग गये। मैं कंजर बस्ती गुजरौड़ा में सुरेश पुत्र बनारसी के घर कई दिनों से रुका था। मैं एक सपेरा हूं।"

सह अभियुक्त हरीश ने अपने स्वीकारोक्ति के बयान में कहा है कि-

"खाल व हड्डियों को हम सबने मिल कर प्लास्टिक के कट्टों में मकान के पीछे गड्ढों में दबा दिया। यह काम हमने दिल्ली निवासी नारायण चंद के कहने पर किया। हम लोग जंगल में जब भी कोई जानवर को मारते हैं, सामूहिक रूप से मारते हैं।"

सह अभियुक्त रमेश ने अपने स्वीकारोक्ति के बयान में कहा है कि-

"दिनांक 30.1.09 को कंजर बस्ती गुजरौड़ा फतेहपुर में पकड़े गये बाघ की खाल व हड्डियों को अमर नाथ, विशन, शांति, सूरज एवं सतपाल के साथ मैंने पकड़े जाने के लगभग पांच-छः दिन पूर्व फतेहपुर के जंगल में खड्का लगा कर बाघ के फंसने पर उसे लाठी डण्डों से पीट कर मार दिया एवं बाघ के मरने पर उसकी खाल व हड्डियां अलग करके मांस व आंते जंगल में ही छुपा दी। हड्डियां व खाल लेकर हम कंजर बस्ती गुजरौड़ा आ गये और हड्डियां व खाल हरीश व सुरेश के मकान के पीछे गड्ढे में दबा दी। उदबिलाव की खाल अमरनाथ के पास थी। मारने वालों में से चार लोग पकड़े जाने के दिन से फरार हो गये।

उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्त नारायण चंद्र ने बाघ की खाल व हड्डियां तथा उदबिलाव की खाल का सौदा अभियुक्त अमर नाथ से किया। कालान्तर में अभियुक्त अमर नाथ अनुपस्थित हो गया, जिसकी पत्रावली पृथक की गयी है। अमर नाथ ने स्वयं सह अभियुक्तगण को बाघ मारने के लिये तैयार किया। सह अभियुक्तगण ने अपने स्वीकारोक्ति में यह बताया कि यह भी पाया कि अभियुक्त अमर नाथ इस समस्त सौदे का बयाना भी एडवांस प्राप्त कर चुका था। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने

7/12/2010

संसार चन्द बनाम राजस्थान राज्य (2010)10 एस.सी.सी. 604 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ऐसे अभियुक्त जो अपराधों की गैंग के सरदार होते हैं और जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार का कार्य करते हैं, वे स्वयं वास्तव में मुख्य अपराधी होते हैं। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त संसार चंद्र अपीलार्थी थाँ, जिसके सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति स्वयं बाघ का शिकार नहीं करते, बल्कि वे शिकार के लिये अन्य व्यक्तियों को hire करते है और इस प्रकार, इसी प्रकार के व्यक्ति crime seen में पीछे से कार्य करते हैं अतः इनके विरूद्ध सीधा साक्ष्य एकत्र कर पाना सम्भव नहीं होता ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि संसार चंद्र 30वर्षो से भी ज्यादा समय शेर, बाघ, बघीरे व लैपर्ड की खाल का अवैध व्यापार कर रहा है। उसके द्वारा वर्ष 1974 में पहली बार यह अपराध किया गया, तब वह मात्र 16वर्ष का था, जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्रिमनल केस सं. 15/2001 में दोष सिद्धि का आदेश यथावत् रखा। उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश व राजस्थान में अनेकों अपराधिक प्रकरण लम्बित हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इसी विधि व्यवस्था में यह भी दृष्टान्त दिया कि यद्यपि extra Judicial confession दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकता, परन्तु यदि वह शेष बिन्दुओं से सम्पुष्ट हो जाता है तो इससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ई.सी. रिचर्ड प्रति फौरेस्ट रेंज आफिसर,1958 क्रिमनल ला जनरल 52, फौरेस्ट रेंज आफिसर चौंगा थारा प्रति अबूं बाकर 1959, क्रिमनल ला जनरल 2008 एवं मतिया पटेल व अन्य विरूद्ध उड़ीसा राज्य, 2001 क्रिमनल ला जनरल 1895 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वन विभाग के अधिकारी के समक्ष की गयी स्वीकारोक्ति स्वीकार्य होगी, वह धारा 25 साक्ष्य अधिनियम से बाधित नहीं होगी, क्योंकि वन कर्मी व अधिकारियों को "officer incharge of Police station" नहीं है और उन्हें पुलिस की शक्ति नहीं दी गयी है अतः वे पुलिस अधिकारी नहीं कहे जा सकते। इस कारण अभियुक्तगण की पी.डब्लू.6 आनन्द आर्या विवेचक के समक्ष की गयी स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने बाघ का शिकार नारायण चंद्र द्वारा अमर नाथ से किये गये सौदे व अमर नाथ द्वारा लिये गए एडवांस को पेश किया।

4/VI/2014

अभियोजन की ओर से अभियुक्त नारायण चंद्र द्वारा धारा 50(8) वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम,1972 के अंतर्गत दिनांक 14.8.2009 को सहायक क्षेत्र निदेशक (सं. बाघ परियोजना) अलवर राजस्थान के समक्ष यह बयान दिया गया कि वह रामनगर के कंजर व्यक्तियों से बाघ की खाल लेकर आता था, यह खालें ज्यादातर ट्रेन से और कभी कभार बस से लाता था। रामनगर क्षेत्र में वह हरिशंकर को जानता था। कालाढूंगी व रामनगर के ओम प्रकाश व विजय को भी वह जानता था, जो शिकार का कार्य करते हैं। इनसे भी उसने खालें खरीदी थी।

अभियुक्त नारायण के उपरोक्त बयान विवेचक पी.डब्लू.6 आनन्द आर्या ने स्वयं प्राप्त किये और उन्हें पत्रावली पर प्रस्तुत किया।

इसके सम्बंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह दस्तावेज बाद में प्रस्तुत किये गये हैं अतः साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं।

जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित विधि व्यवस्था **संसार चन्द बनाम राजस्थान राज्य** (2010)10 एस.सी.सी. 604 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि संसार चंद्र व नारायण चंद्र जैसे अभियुक्तगण के विरुद्ध सीधा साक्ष्य मिलना असम्भव है, क्योंकि यह व्यक्ति बाघ के शिकार करने वाले गैंग के प्रमुख होते हैं, जो स्वयं शिकार नहीं करते, अन्य व्यक्तियों को इसके लिये hire करते हैं। जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में नारायण चंद्र ने अमर नाथ को किया। इन परिस्थितियों में विवेचक द्वारा एकत्र किये गये स्वयं अभियुक्त नारायण चंद्र के स्वीकारोक्ति के बयान स्वीकार्य हैं। साथ ही नारायण चंद्र द्वारा जो माननीय सेशन न्यायाधीश सं.3 अलवर द्वारा दाण्डिक अपील सं. 96/2011 नारायण बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दि.04.10.13 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है उसी से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त नारायण चंद्र ने धारा 50(8) वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम,1972 के अंतर्गत उपरोक्त बयान दिये थे, जो उसके विरुद्ध सुसंगत हैं।

24. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय अपर सेशन न्यायाधीश सं.3 अलवर द्वारा दाण्डिक अपील सं.96/2011 नारायण बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दि.04.10.13 की सत्यप्रति पेश की गयी है।

भारतीय संविधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय मात्र उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के दृष्टांत का अनुपालन करने हेतु आबद्ध

7/VI/2014.

है, न कि अन्य न्यायालयों के। अन्यथा भी इस दृष्टान्त की परिस्थितियां व तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।

25. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2,9,39, 49 एवं 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संधारित किया गया था।

अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न शब्दों की परिभाषा प्रावधाजित है। अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत जंगली जानवरों के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत यह अधिनियम प्रावधानित करता है कि सभी वन्यजीव तथा प्राणी जो किसी सेंचूरी या नैशनल पार्क में रहते हों वह केन्द्र सरकार की सम्पत्ति होगें। इसके अन्यत्र जंगलों में रहने वाले जानवर राज्य सरकार की सम्पत्ति होगें। अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा किसी जंगली जानवर की खरीद, प्राप्ति या संरक्षण को निषेधित करती है। अधिनियम की धारा 51 यह प्रावधानित करती है कि जो भी व्यक्ति वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान का ( chapter V A तथा धारा 38J के अतिरिक्त) उल्लंघन करेगा,उसे दण्डित किये जाने का प्रावधान इस आधार पर प्रावधानित है। इसी धारा के प्रथम परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति अनुसूचि 1 व अनुसूचि 2 के भाग-2 से सम्बंधित अपराध करेगा, उसे कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक 07वर्ष तक के कारावास तथा कम से कम 10,000/ रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

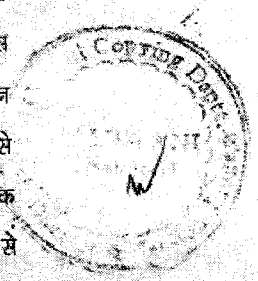

क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचि 2 में दर्ज उदबिलाव (स्मूथ कोटेड आटर) का शिकार षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर किया गया जिसे अभियुक्त नारायण चंद्र ऐसा किये जाने हेतु अभियुक्तगण को hire किया था अतः सभी अभियुक्तगण धारा 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सिद्ध दोष किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनकी जमानतें निरस्त कर जामिनों को उन्मोचित किया जाता है, अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

Deepali Sharma
7/VI/2014.

( दीपाली शर्मा )
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,हल्द्वानी।

दि. 07.6.14

Copying Dept.

सजा के प्रश्न पर सुना गया, अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कम से कम सजा से दण्डित किया जाए। अभियुक्त ने समाज एवं वन्य जन्तुओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः समाज में इस प्रकार के अपराधों के सम्बंध में सन्देश ज्ञापित करने हेतु को कठोर सजा दिया जाना आवश्यक है। अतएव अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्तगण 1.हरीश, 2.सुरेश, 3.विशन, 4.सूरज, 5. सतपाल उर्फ सदुवा, 6.मुकेश, 7.रमेश एवं 8.नारायण चंद्र को धारा 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अपराध हेतु दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण 1.हरीश, 2.सुरेश, 3.विशन, 4.सूरज, 5. सतपाल उर्फ सदुवा, 6.मुकेश, 7.रमेश एवं 8.नारायण चंद्र को धारा 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अपराध हेतु सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं बीस-बीस हजार रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्तगण की उपरोक्त सजा में परीक्षण के दौरान जेल में व्यतीत अवधि शामिल रहेगी। तदनुसार सजा का वारण्ट कारागार प्रेषित किया जाए। अभियुक्तगण को निर्णय की एक-एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ।

बरामदशुदा बाघ की खाल व 16 हड्डियां तथा उदबिलाव की खाल अधिनियम की धारा 39 के अनुसार सरकार के पक्ष में जब्त की जाती हैं। वन विभाग को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 39 के अनुसार इस सरकारी सम्पत्ति का निस्तारण बाद मिआद अपील अथवा अपील की समाप्ति के उपरांत सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य माल मुकदमा भी नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

Deepali Sharma 7/12/2014

दिनांक07.6.14

( दीपाली शर्मा )
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,हल्द्वानी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

Deepali Sharma 7/12/2014

दिनांक07.6.14

( दीपाली शर्मा )
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,हल्द्वानी।

16/6/2014